यह पहला अनुभव है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी, चाहे विधान सभा हो, चाहे राज्य सभा हो, चाहे लोक सभा हो, इस विदाई समारोह से यह पता लगा कि हम राजनीति के ऊपर सामाजिक दृष्टि से किस प्रकार की भावनाएं बना सकते हैं और उत्तेजनात्मक वातावरण में भी हम बनाकर चलते हैं। उसी का आज यह परिणाम है कि इस विदाई समारोह में कई बहनों के आंसू आ गए। मैं समझता हूं कि वे आंसू प्रेम के हैं। आंसू, जिस प्रकार से उनका स्नेह था, उस स्नेह का परिणाम हैं। इसी प्रकार का स्नेह उनका बना रहेगा और इस स्नेह के कारण आप सदस्य नहीं हों तो भी सदन से किसी प्रकार की दूरी नहीं रहेगी। इस आशा और विश्वास के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं, माननीय सदस्यों ने आज जिस प्रकार की भावनाएं प्रकट की हैं।

प्रधानमंत्री जी से यह जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सभा से जाते-जाते कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी मांगें रखी हैं, उनका आप अवश्य ध्यान रखें और आप अगर भूलेंगे तो मैं इनके बिहाफ पर आपको याद दिलाता रहूंगा।

श्रीमती सविता शारदा: सर, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: अब तो धन्यवाद दिया न आपने।

SPECIAL MENTIONS

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, please take you seats. The House is not adjourned. We are transacting the business.

Demand to Include Bhoti in the Eighth Schedule of the Constitution

SHRI TARLOCHAN SINGH (Haryana): Sir, Article 26 of the Indian Constitution gives liberty to all the religions to establish and maintain their places of worship. Buddhists are the only people in India who are deprived of this privilege. The Bodh Gaya Temple is the most sacred place for the buddhist all over the world. But, Buddhists are not allowed to manage the working of this shrine. Under an Act of Bihar Government, management has been given to a Committee, headed by the District Magistrate, having four Buddhist and four Hindu members. The Act empowers the Government to nominate a Hindu as the Chairman of the Committee, during the period

District Magistrate, Gaya, is a non-Hindu. In spite of the requests of the Buddhist organisations, the Government of Bihar has not agreed to have only Buddhist Members in this Committee. Even the statutory recommendation of the National Commission for Minorities for this has been ignored. Bihar is under President's Rule, and I request that the Government of India should rise to the occasion to fulfil the aspirations of the Buddhist minority community.

Bhoti is the language of all Himalayan Buddhists, living from North-Eastern States to Laddakh. This language should be included in the Eighth Schedule of the Indian Constitution. The Buddhists have also another grouse of wrong enumeration of their population during 2001 Census. They have not been properly recorded in all the States. Buddha Jayanti has not been declared a holiday in most of the States. I also request that next year the Government of India may celebrate 2550th birthday of Lord Buddha in an elaborate manner befitting the occasion.

SHRI JAIRAM RAMESH (Andhra Pradesh): Sir, I associate myself with the Special Mention made by Shri Tarlochan Singh.

SHRI ROBERT KHARSHING (Meghalaya): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI PALDEN TSERING (Sikkim): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) : मैं भी स्वयं को इस विशेष उल्लेख से सम्बद्ध करता हूं।

Increasing Number of Anaemic Women in the Country

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, महिलाओं में बढ़ती हुई रक्ताल्पता, उनके स्वास्थ्य के बारे में गंभीर चिंता का विषय बन गई है। देश में 15 से 49 वर्ष तक की उम्र की 50 प्रतिशत से अधिक महिलायें एनीमियां की शिकार हैं तथा सात राज्यों में यह आंकड़ा 60 प्रतिशत से भी ज्यादा है। हर पांच में से एक गर्भवती महिला की मौत इसी वजह से होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा और भी चौकाने वाला है जहां 65 प्रतिशत महिलाएं एनीमियां से पीड़ित हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार विवाहित महिलाओं में इसकी सर्वाधिक शिकायत पाई गई। जिन राज्यों में 60 प्रतिशत महिलाएं एनीमियां की शिकार पाई गईं, उनमें बिहार में 63.4 प्रतिशत, उड़ीसा में 63 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 63.7 प्रतिशत तथा जम्मू कश्मीर में 58.7 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 54.3 प्रतिशत, तमिलनाडु में 56.5 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश में 54 प्रतिशत